JALAUN POLICE

दिनांक – 05.02.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना कोंच पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 शातिर चोर को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

कृपया अवगत कराना है कि वादिया कल्पना पत्नी देवेन्द्र राठौर की तहरीर के आधार पर उसके घर में चोरी की घटना के संबन्ध में कोत0 कोंच पर मु0अ0सं0 277/24 धारा 305/331(2)/ 351(2)/317(2) बी0एन0एस बनाम काँचा उर्फ सोहिल पुत्र हामिद काजी नि0 मु0 भगत सिंह नगर कोंच के अभियोग पंजीकृत हुआ है था। घटना से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कोंच को निर्देशित किया गया था इसी क्रम में दिनांक 05.02.2025 को थाना कोंच पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर/वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी एवं चैकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर कैलिया बाईपास के पास से शातिर चोर काँचा उर्फ सोहिल पुत्र हामिद काजी नि0 मु0 भगत सिंह नगर कोंच को चोरी के माल एक हाफ कमर पेटी (डालर), एक चाबी गुच्छा(विछुवा) ,दो जोडी पायल सफेद धातु व 12220/- रू तथा एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त काँचा उर्फ सोहिल द्वारा बताया गया है कि कि चोरी किया माल जो बरामद हुआ यह मैने देवेन्द्र राठौर के घर से चोरी किया था तथा इसके बाद मुम्बई चला गया था तथा कुछ माल (जेवरात) बम्बई में चलते फिरते लोगो को बेच दिया था तथा मिले रुपयों को अपने घूमने व ऐशो आराम पर खर्च दिया था

अभियुक्तगण से माल बरामदगी एवं अवैध चाकू बरामद होने के संबन्ध में थाना कोंच पर पंजीकृत अभियोग में धारा 411 भादवि एवं 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. काँचा उर्फ सोहिल पुत्र हामिद काजी नि0 मु0 भगत सिंह नगर कोंच।

बरामदगी का विवरण-

1- एक हाफ कमर पेटी (डालर), एक चाबी गुच्छा(विछुवा) ,दो जोडी पायल सफेद धातु

2- 12220/रू नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक कोंच मय पुलिस टीम